उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-36/2016/1195/92-2-16-89जॉच/2014
लखनऊ:: दिनांक 27 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0-13125, यू0पी0-13126, यू0पी0-13131 के लिये अनुबंध गठन हेतु ठेकेदारों/फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में विलम्ब किये जाने तथा अनुबंध गठन से पूर्व परफारमेन्स सिक्योरिटी के सत्यापन के संबंध में विद्यमान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने एवं कालान्तर में सत्यापन किये जाने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी के फर्जी पाये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/5339/92-14-89जांच/2014, दिनांक 12-01-2015 द्वारा श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0 आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 01-09-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जॉच आख्या में स्थापित आरोपो के संबंध में शासन के पत्र संख्या-3336/92-2-2015-89जॉच/2014 दिनांक 02-12-2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री अशोक, सहायक अभियंता का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 07-01-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया है।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0-13125, यू0पी0-13126, यू0पी0-13131 में प्रयुक्त धरोहर धनराशि से संबंधित बैंक प्रतिभूतियों को छः माह तक अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पास रखा गया है, जिससे प्रतिभूतियों के सत्यापन में विलम्ब हुआ है। अतः श्री अशोक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिये उन्हें निम्नवत "**परिनिन्दा**" का दण्ड देते हुये उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू0पी0-13125, यू0पी0-13126, यू0पी0-13131 में प्रयुक्त धरोहर धनराशि से संबंधित बैंक प्रतिभूतियों के सत्यापन में छः माह का विलम्ब किये जाने के कारण श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0 यू0-प्रथम, बाराबंकी को वर्ष 2016-17 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-36/2016/1195(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-प्रथम, बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in